निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या : 97/2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (सिचांई खण्ड) द्वितीय, नई टिहरी **द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है।** कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (सिचांई खण्ड) द्वितीय, नई टिहरी **के माह** अगस्त 2014 से माह अक्टूबर 2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राज बहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक एवं श्री दिनेश नरवरिया, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.11.2016 से 28.11.2016 तक श्री अविनाश चन्द्र कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा** श्री भानू प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 17.08.2014 से 29.08.2014 तक श्री महेन्द्र तिवारी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 03/2012 से माह 07/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2014 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -इकाई द्वारा विभिन्न ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु सड़कों का निर्माण किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों से बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् है :

धनराशि ` लाख में

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**			**गैर स्थापना**		
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**बचत/ आधिक्य**	**आवंटन**	**व्यय**	**बचत/ आधिक्य**
2014-15	Nil	67.51	138.88	132.92	5.96	670.51	638.83	99.20
2015-16	Nil	32.85*	145.95	139.38	6.57	1054.61	896.82	190.64
2016-17 (upto 10/2016	Nil	77.18*	180.43	89.28	91.15	401.27	414.43	64.02

*गैर स्थापना मद के वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में अवशेष धनराशि ` 6634636/– एवं ` 11346179/– क्रमशः URDDA को समर्पित की जा चुकी है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित **योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

धनराशि ` लाख में

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**2014-15**			**2015-16**		
		प्रारम्भिक अवशेष	**प्राप्त**	**व्यय**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**
1.	प्रोग्राम खण्ड	23.53	554.44	511.63	0.00	885.62	797.68

इकाई को बजट आवंटन इकाई को स्थापना मद में उत्तराखण्ड शासन से तथा गैर योजना मद में URRDA (स्रोत बताया जाए) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'अ' श्रेणी (जिस श्रेणी के अंतर्गत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है-:

सचिव, सिंचाई विभाग, प्रमुख अभियंन्ता, सिंचाई विभाग, मुख्य अभियन्ता, सिचांई विभाग, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वितीय, नई टिहरी।
(संगनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाए)।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा **में** अधिशासी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (सिचांई खण्ड) द्वितीय, नई टिहरी (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा–निर्देशों के अनुसार जिन–जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाए) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (सिचांईखण्ड) द्वितीय, नई टिहरी (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाए) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। ज्यारना से कन्स्यूड मोटर मार्ग, थत्यूड से अज्ञारना मोटर मार्ग, कधाल बैण्ड, टिपरी कटखेत मोटर मार्ग, चम्बा धरासू मोटर मार्ग से क्यूलागी मोटर मार्ग स्टेज–2, बिच्छू लिंक मार्ग से बिच्छू मोटर मार्ग, स्टेज–2 तथा तेवा से ओतण मोटर मार्ग आदि (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाए) का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये अधिक व्यय एवं कार्य की महत्ता (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाए) के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा के शर्तें) अधिनियम 1971 (डी.पी.सी. एक्ट 1971) की धारा (14) 1 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 01.06.2016 को, तक का निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबंदी तथा यंत्र संयत्र लेखों की वार्षिक लेखाबंदी क्रमशः माह स्टॉक सामग्री उपलब्ध नहीं तक की गयी।

5. फार्म 51 माह शून्य तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् हैं–

भाग–प्रथम– शून्य

भाग द्वितीय– शून्य

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 09/2016 के अंत में

1) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम– शून्य

2) सामग्री क्रय – शून्य

3) नगद परिशोधन – शून्य

4) निक्षेप – शून्य

5) भण्डार – शून्य

भाग–दो 'अ '

.....शून्य.....

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर-1 विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप ` 331.74 लाख का व्यय किए जाने के उपरांत भी अधोमानक मोटर मार्ग का निर्माण !

प्रस्तर-2 मोटर मार्ग के निर्माण पर ` 9.89 लाख के परिहार्य व्यय के अतिरिक्त ` 1.98 लाख का अधिक भुगतान !

भाग दो (ब)

प्रस्तर-1 विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप ` 331.74 लाख का व्यय किए जाने के उपरांत भी अधोमानक मोटर मार्ग का निर्माण !

अधिशासी अभियंता, पी.एम.जी.एस.वाई, सि.खण्ड,–2, नई टिहरी के कार्यालय अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के पत्रांक संख्या–पी. 17029/06/200–आर.सी. दिनांक 03 मार्च 2008 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क येाजना यू.आी. –11–01, फेज VI (2006–07) के अंतर्गत ज्वारना से कंसयूड मोटर मार्ग (लंबाई 14.00 किमी.) के सटेज प्रथम के निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत रू0 467.23 लाख तथा अुनरक्षण लागत रू0 23.15 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त मोटर मार्ग की लंबाई में , 2.575 किमी. हल्का मोटर वाहन मार्ग (एल.वी.आर.) जो पूर्व से निर्मित था, का निर्माण कार्य शामिल नहीं था। उक्त मोटर मार्ग के अनुरक्षण पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य जो मार्च 2008 में स्वीकृत हुआ था परन्तु उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित संरेखण पर मोटर मार्ग के निर्माण के संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान न किए जाने के परिणामस्वरूप विभागीय स्तर पर दूसरा संरेखण अनुमोदित करते हुए उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के संबंध में अगस्त 2014 में अल्पकालीन निविदाएं बिना सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए ही वर्ष 2007–08 के स्वीकृत शैड्यूल ऑफ रेटस के स्थान पर वर्ष 2012–13 के अत्यधिक बढ़े हुए शैड्यूल ऑफ रेटस को शामिल करते हुए तैयार की गई बिल ऑफ क्वान्टिटी के आधार पर आमंत्रित करते हुए न्यूनतम निविदाता के पक्ष में अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अनुबंध संख्या–37/एस.ई.पी.एम.जी.एस. वाई./2014–15 दिनांक 28.02.15 गठित किया गया। उक्त अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य की लागत, निर्माण लागत रू0 402.31 लाख दो वर्षों हेतु अनुरक्षण लागत रू0 11.93 लाख थी। उक्त निर्माण कार्य के संबंध में मुख्य अभियंता स्तर–2 के द्वारा प्राविधिक स्वीकृति दिनांक 24.02.15 को प्रदान की गयी। उक्त संबंध में मुख्य अभियंता स्तर–2 के द्वारा प्राविधिक स्वीकृति दिनांक 24.02. 15 को प्रदान की गयी। उक्त अनुबंध के अनुसार उक्त निर्माण कार्य को प्रारम्भ एवं पूर्ण करने की निर्धारित तिथियां क्रमशः 28.02.15 तथा 27.05.16 थी। उक्त मोटर मार्ग के स्टेज प्रथम के निर्माण का कार्य सम्प्रेक्षा तिथि (नवम्बर 2016) तक भी रू0 331.74 लाख व्यय किये जाने के उपरांत भी पूर्ण नहीं किया जा सका था।

संप्रेक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त निविदा प्रक्रिया में वर्ष 2007–08 के स्वीकृत शैड्यूल ऑफ रेट्स के स्थान पर वर्ष 2012–13 के अत्यधिक बढ़े हुए शैड्यूल ऑफ रेटस को शामिल करते हुए तैयार की गई बिल ऑफ क्वान्टिटी के आधार पर किए जाने के कारण भारत सरकार द्वारा निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित डी.पी.आर. की अनुमोदित मदों के सापेक्ष

रू0 168.91 लाख (172.57 लाख–रू0 3.66 लाख) लागत की आठ मदें या तो अनुबंध में शामिल ही नहीं की गई या अत्यधिक कम मात्रा में शामिल करते हुए निष्पादित कराई गई।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा यह पूछे जाने पर की उक्त निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डी.पी.आर जिसकी स्वीकृत लागत ` 467.23 लाख थी, के सापेक्ष ` 168.91 लाख लागत की उपरोक्त मदें अनुबंध में शामिल ही नहीं किए जाने या अत्यधिक कम मात्रा में शामिल करते हुए निष्पादित कराये जाने के परिणामस्वरूप उक्त मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य निर्धारित विशिष्टियों /मानकों के अनुरूप न किये जाने के कारण क्या अधोमानक नहीं हुआ, के संबंध में इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उक्त मोटर मार्ग हेतु चयनित संरेखण में अत्यधिक बांझ एवं बुरांश के पेड़ होने के कारण स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण संरेखण में बदलाव किया गया जिस पर जून 2013 में स्वीकृति प्राप्त हुई तथा उक्त निर्माण कार्य में स्वीकृत सभी मदें आवश्यक थीं परंतु निर्माण कार्य वर्ष 2014-15 में प्रारम्भ किए जाने के कारण शैड्यूल ऑफ रेट्स की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत जो निर्माण कार्य आवश्यक थे उनका निष्पादन कराते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराये गए तथा उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वांछित भूमि की उपलब्धता भी सुनिश्चित न किए जाने के संबंध में इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि जब उक्त निर्माण कार्य की डी.पी.आर. भारत सरकार को प्रेषित की गयी थी तो उसके साथ भूमि उपलब्धता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जा सका था जबकि पी.एम.जी.एस.वाई. गाइडलाइंस के प्रस्तर 9.3 में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि मोटर मार्ग के निर्माण से संबन्धित डी.पी.आर तैयार किए जाने के बाद राज्य तकनीकी अभिकरण (एसटीए) पी.एम.जी.एस.वाई. गाइडलाइंस के आलोक में उसकी जांच करेगा और मुख्य रूप से यह जांच करेगा कि डी.पी.आर के साथ निर्माण कार्य हेतु वांछित भूमि कि उपलब्धता के संबंध में प्रमाण पत्र तथा ट्रांसेक्ट वाक (Transect Walk) की कार्यवाही से संबन्धित विवरण संलग्न है कि नहीं !

इकाई के उत्तर में ही स्पष्ट है कि विभागीय शिथिलता के कारण उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित संरेखण हेतु वांछित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही डी.पी.आर. भारत सरकार स्तर से स्वीकृत कराये जाने के परिणामस्वरूप उक्त निर्माण कार्य एक तरफ तो मार्च 2008 में स्वीकृत होने के बावजूद फरवरी 2015 में प्रारम्भ हो पाने के कारण श्रमिकों/सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित डी.पी.आर. की अनुमोदित मदों के सापेक्ष रू0 168.91 लाख (रू0 172.57 लाख–रू0 3. 66 लाख) लागत की आठ मदें या तो अनुबंध में शामिल ही नहीं की गई या अत्यधिक कम मात्रा में शामिल करते हुए निष्पादित कराये जाने के परिणामस्वरूप उक्त मोटर मार्ग का अधोमानक (Substandard) निर्माण कराया गया।

अतः विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप रू0 331.74 लाख का व्यय किए जाने के उपरांत भी अधोमानक मोटर मार्ग के निर्माण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-2 मोटर मार्ग के निर्माण पर ` 9.89 लाख के परिहार्य व्यय के अतिरिक्त ` 1.98 लाख का अधिक भुगतान !

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़ X में विश्व बैंक सहायतित योजनाएँ- आर आर पी -I, ट्रेंच-II के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में चम्बा धरासू मोटर मार्ग से क्यूलागी मोटर मार्ग (लंबाई 5.75 कि.मी.) के स्टेज-II के निर्माण के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्रांक संख्या- 2508/पी-01-24/यूआरआरडीए/13/दिनांक 31.03.13 के द्वारा ` 250.33 लाख (निर्माण लागत ` 224.87 लाख तथा अनुरक्षण लागत ` 25.46 लाख) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी ! उक्त के अनुपालन में दिनांक 17.06.13 को विभागीय स्तर पर टेंडर नोटिस जारी करने के उपरांत एकल निविदा ` 182.40 लाख (विभागीय दरों से 5.64 प्रतिशत कम) प्राप्त होने पर स्वीकृत करते हुए संबंधहीत ठेकेदार के साथ अधीक्षण अभियंता स्तर का अनुबंध संख्या 34/एस ई-पीएमजीएसवाई/2013-14/दिनांक-18.11.13 ` 182.40 लाख गठित किया गया ! जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथियाँ क्रमशः 18.11.13 एवं 17.11.14 थीं!

उक्त निर्माण कार्य दिनांक 16.05.15 को 06 माह की विलंबित अवधि के साथ ` 171.27 लाख की धनराशि व्ययित करते हुए पूर्ण किया गया !

संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु गठित विस्त्रत आगणन जिस पर अधीक्षण अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति भी प्रदान की गयी थी, में Earth work in hill road- Excavation in hilly area for construction of road in all types of soils & rocks मद में 8211.93 Cum ` 136.30 per Cum की दर पर ` 11.19 लाख का कार्य कराया जाना प्रावधानित था परंतु संबन्धित ठेकेदार के साथ अनुबंध करते समय उक्त मद को तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद अनुबंध में शामिल न करते हुए उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य निष्पादित कराया गया और बाद में उसी मद को अतिरिक्त मद (Extra Item) के रूप में Per/Cum की दर पर निष्पादित न कराते हुए One Job के आधार पर ` 21.08 लाख की धनराशि व्यय करते हुए में निष्पादित कराया गया ! इस प्रकार इकाई द्वारा उक्त मद पर अनियमित रूप से ` 9.89 लाख का अपरिहार्य व्यय किया गया !

संप्रेक्षा के दौरान आगे यह भी पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य के अंतर्गत कुछ मदें जो संबन्धित ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत अनुबंधित दरों पर निष्पादित की गईं थीं उन्हीं मदों को अतिरिक्त मदों (Extra Item) के रूप में बढ़ी हुई दरों पर निष्पादित कराते हुए संबन्धित ठेकेदार को निम्नानुसार अधिक भुगतान किया गया था:

Sl. No	Item of work	Unit	Rates as per Contract Bond	Actual rates paid on Extra Items			Excess Payment
				Quantity	Rates	Amount	
1	Excavation for structures-earth work in excavation in foundation for cross drainage structures, retaining walls, breast walls	Cum	128.10	108.30	228.60	24757.38	10884.15
2	Random Rubble stone masonry for structures laid into 1:5 cement& sand mortar by locally available approved stones	Cum	1700.00	93.55	2698.30	252425.97	93390.97
3	Random Rubble stone masonry for structures laid dry by locally available approved stones	Cum	800.00	67.20	1495.80	100517.76	46757.76
4	Providing & laying of filter media as hand packed stone filling back of retaining walls	Cum	250.00	19.00	579.30	11006.70	6256.70
5	Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia GI wire conforming to IS:280& IS 4826 in 100 *100 mesh including 10% extra for laps and joints	Cum	1350.00	6.00	8139.90	48839.40	40739.40
	Total						**198028.98**

इस प्रकार इकाई स्तर पर संबन्धित ठेकेदार को एक ही अनुबंध के तहत एक ही कार्य हेतु दो अलग-अलग दरों पर भुगतान के परिणामस्वरूप संबन्धित ठेकेदार को ` 1.98 लाख का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया !

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता,पी.एम.जी.एस.वाई. सि.खंड.2, नई टिहरी द्वारा अपने उत्तर में ` 9.89 लाख के अपरिहार्य व्यय के संबंध में अवगत कराया गया कि त्रुटिवश उक्त मद को तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद अनुबंध में शामिल नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप उक्त मद को अतिरिक्त मद (Extra Item) के रूप में निष्पादित करना पड़ा तथा ` 1.98 लाख के अनियमित रूप से अधिक भुगतान के संबंध में अवगत कराया गया कि जून 2013 में अत्यधिक वर्षा के करण उक्त मोटर मार्ग की धारक दीवारें (Retaining Walls) क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण दैवीय आपदा के अंतर्गत ` 4.38 लाख स्वीकृत किए गए थे परंतु उक्त मोटर मार्ग पर स्टेज II का निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार से ही त्रुटिवश उक्त मरम्मत का कार्य भी उसी अनुबंध के सापेक्ष अतिरिक्त मद के रूप में तत्समय लागू एस.ओ.आर. के आधार पर करा लिया गया था !

इकाई के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि इकाई की त्रुटि के परिणामस्वरूप ही ` 9.89 लाख का अपरिहार्य व्यय हुआ एवं इसके अतिरिक्त विभागीय त्रुटि के कारण ही एक ही अनुबंध के तहत एक ही मद के लिए दो अलग-अलग दरों पर भुगतान के परिणामस्वरूप ` 1.98 लाख का अनियमित रूप से अधिक भुगतान भी हुआ !

अतः चम्बा धरासू मोटर मार्ग से क्यूलागी मोटर मार्ग के निर्माण पर ` 9.89 लाख के अपरिहार्य व्यय के अतिरिक्त ` 1.98 लाख का अधिक भुगतान का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता

<u>भाग-III</u>

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर
81/2011-12	01	Nil	Nil
79/2014-15	Nil	01	Nil

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
81/20011-12	II-A-1 IIB-Nil	अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के संबंध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि अनुपालन आख्या तैयार कर उच्चाधिकारियों की संस्तुति के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।		
79/2014-15	11-A-Nil IIB-01			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

---------- शून्य----------

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय** अधिशासी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (सिचांई खण्ड) द्वितीय, नई टिहरी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **-** शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः-** शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
1	श्री आर.सी. गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता
2	श्री अरूण कुमार नेगी	अधिशासी अभियन्ता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (सिचांई खण्ड) द्वितीय, नई टिहरी **को इस** आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय-महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)